राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय,झुंझुनू

पटाखों के अस्थाई लाईसेन्स जारी करने के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट अधिकृत

झुंझुनू, 16 फरवरीः जिला मजिस्ट्रेट आलोक गुप्ता ने जिले में होली पर्व पर जिले के सभी उपखण्ड़ मजिस्ट्रेटों को उनके अधिकारिता में आने वाले क्षेत्र के लिए पटाखों के अस्थाई लाईसेन्स जारी करने के लिए अधिकृत किया है। इस पर्व पर अग्नि कांड की संभावना बनी रहती है। इसीलिए सभी उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अपने-अपने क्षेत्र में अस्थाई लाईसेन्स जारी करने से पूर्व आवेदन पत्रों की गहनता से जांच के बाद निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही अस्थाई लाईसेन्स जारी करने के निर्देश दिये है।

जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिये है कि पटाखों के लिए अस्थाई लाईसेन्स जारी करने में चिन्हित स्थानों के लिए ही लाईसेन्स जारी करें। उन्होंने कहा है कि जहां घनी आबादी हो वहां विशेष सतर्कता बरतने और होली का दहन के स्थल पर फसल के ढेर और ज्वलनशील पदार्थ नहीं होने चाहिए। स्थान निर्धारित करने के लिए सभी उपखण्ड मजिस्ट्रेट वहां की नगर पालिका के अधिशासी अधिकारियों और थानाधिकारियों से विचार-विमर्श अवश्य रूप से करें। आदेश में कहा गया है निर्धारित स्थानों के अलावा किसी भी अन्य स्थान पर पटाखों की दुकाने नहीं लगाई जाये। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, उप पुलिस अधीक्षक एवं थानाधिकारी की रहेगी। सभी उपखण्ड मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र में दुकानदारों द्वारा होली के पर्व पर अतिक्रमण के रूप में जगह-जगह अस्थाई दुकाने लगाकर रास्तों को अवरूद्ध करने वालों के विरूद्ध भी कार्रवाई करें ताकि किसी दुर्घटना के समय दुर्घटना स्थल पर पहुंचने में फायर ब्रिगेड को किसी तरह की असुविधा नहीं हो सके। होली के पर्व पर दमकल गाडियों को समय रहते दुरूस्त करवाने के निर्देश भी दिये गये है।

विधायक कोटे में दो कार्यो के लिए दो लाख रूपये स्वीकृत

झुंझुनू, 16 फरवरीः विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत खेतड़ी के विधायक एवं ऊर्जा मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह के कोटे से दो कार्यो के लिए एक-एक लाख रूपये

स्वीकृत किये गये है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी.एम. काला ने बताया कि यह राशि खेतड़ी के राजकीय कॉलेज एवं जयसिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्र-छात्राओं के यूरिनल्स व टॉयलेट बनाने के लिए स्वीकृत की गई है।

.....2...

सूचना भिजवाने के निर्देश: जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बीरबल सिंह सामोता ने सभी संस्था प्रधानों को निर्देश दिये है कि उनके विद्यालय में कार्यरत विषयावार वरिष्ठ अध्यापकों के स्नातक के विषय एवं वर्तमान में अध्यापन कराये जाने वाले विषय सहित सूचना तीन दिन में भिजवाने के लिए कहा गया है।

क्लेम फार्म भिजवाने के निर्देश: राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के उप निदेशक योगमित्र दिनकर ने जिले के सभी आहरण-वितरण अधिकारियों से कहा है कि वे एक अप्रेल को परिपक्व होने वाली राज्य बीमा पॉलिसियों के समय पर भुगतान के अधिकार पत्र जारी करने के लिए क्लेम फार्म अविलम्ब भिजवाने के निर्देश दिये है। उन्होंने कहा कि ये क्लेम फार्म सात दिन में विधिवत पूर्ति करवाकर कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवाये ताकि उन्हें उनकी बीमा पॉलिसी का भुगतान समय पर प्राप्त हो सके।

गेहूं का आवंटन: जिला रसद अधिकारी हरभजन सिंह ने जनवरी व फरवरी माह के लिए ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय परिवारों जो ए.पी.एल. व बी.पी.एल. में चयनित है उनके लिए जिले में 6 हजार 2 मैट्रिक टन गेंहू का उप आवंटन पंचायत समितिवार किया है। उन्होंने बताया कि जिले की सभी पंचायत समितियों के लिए थोक विक्रेताओं को संबंधित क्रय विक्रय सहकारी समितियों से गेहूं का उप आवंटन प्राप्त करने के निर्देश दिये गये है। जिले के नगरपालिका क्षेत्र के लिए भी ए.पी.एल. व बी.पी.एल. परिवारों को 6 हजार 2 मैट्रिक टन गेंहू का उप आवंटन किया गया है।

अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशुपालकों को पशुआहार आवंटित: जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने जिले की झुंझुनू, नवलगढ़, उदयपुरवाटी, चिड़ावा, खेतड़ी तथा बुहाना के पशुपालकों को अनुदानित दर पर पशुआहार उपलब्ध कराने के निर्देश दिये

है। आदेशानुसार झुंझुनू के 3240, नवलगढ़ के 4000, उदयपुरवाटी के 1833, चिड़ावा के 4400, खेतड़ी के 2715, और बुहाना के 3000 हजार पशुओं को पशुआहार दुग्ध सहकारी समिति व दुग्ध संकलन केन्द्र के माध्यम से स्वीकृत कराने को कहा गया है। झुंझुनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड पलसाना को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।